न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 05/21 जी.सी.एम.एस. 2021/10

पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल उम्र 51 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 16.02.2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कराने बाबत वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या नई 05 के खसरा नबंर 77 की रकबा 1. 51 है0, एवं खाता संख्या नई 100 के खसरा नबंर 252 की रकबा 0.93 है0, आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी हमारी पैतृक आराजी है जो हमारे स्व0 पिता कंवरलाल उर्फ कंवरपाल जी की मृत्यु के बाद खुले फोती इन्तकाल नबंर 375 दिनांक 21.09.2020 से हमारे खाते आई है।

यह कि हमारे स्व0 पिता कंवरपाल जी की मृत्यु के बाद खुले फोती इन्तकाल नबंर 375 दिनांक 21.09. 2020 में मेरे भाईयों ने मुझ वादी का बचपन का नाम हरिशंकर दर्ज करवा दिया जो मुझ वादी का बचपन का नाम है लेकिन बाद में मुझे सब पप्पू के नाम से ही पुकारने लगे तथा मेरे तथा मेरे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी आदी में मुझ वादी का नाम पप्पू दर्ज हो रहा है।

यह कि वादी के राजस्व रिकार्ड एवं पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता आ जाने से वादी को कृषि ऋण लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, सरकारी कांटे पर फसल बेचेन, बिजनी कनेक्शन, इत्यादि लेने में ... वादी वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपना नाम दुरूस्त करवाकर पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल दर्ज करवाना चाहता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 16.02.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चरचड़िया उर्फ काशीपुरा की आराजी खसरा नबंर 77, 252 किता 02 रकबा 2.44 हैक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरिशंकर पुत्र कंवरपाल के स्थान पर पप्पु उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं एवं किसी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान –पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धूलेट पास बुक की प्रति, ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा दिनांक 1.1.21 को जारी प्रमाण–पत्र पेश किये गये। वादी के पहचान –पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धूलेट पास बुक की प्रतियों में वादी का नाम पप्पू पुत्र कंवरपाल अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रमाण–पत्र में पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के बताये गये हैं।

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर हम माल ग्राम चरचड़िया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या नई 05 के खसरा नबंर 77 की रकबा 1.51 है0, एवं खाता संख्या नई 100 के खसरा नबंर 252 की रकबा 0.93 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर हरिशंकर पुत्र कंवरपाल के स्थान पर पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम चरचड़िया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या नई 05 के खसरा नबंर 77 की रकबा 1.51 है0, एवं खाता संख्या नई 100 के खसरा नबंर 252 की रकबा 0.93 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर हरिशंकर पुत्र कंवरपाल के स्थान पर पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

<u>**अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई**</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

<u>**बउनवान**</u>

पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल उम्र 51 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

<u>**वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.**</u>

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

<u>**निर्णय**</u>

मुकदमा नं. 05/21 सन् 2019 तारीख फैसला 16.02.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **महेश कुमार मालव वादी** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या नई 05 के खसरा नबंर 77 की रकबा 1.51 है0, एवं खाता संख्या नई 100 के खसरा नबंर 252 की रकबा 0.93 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर हरिशंकर पुत्र कंवरपाल के स्थान पर पप्पू उर्फ हरिशंकर पुत्र कंवरपाल उर्फ कंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.02.2021** माह **फरवरी 2021** को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	—NIL—		स्टाम्प वकालतनामा	....	—NIL—	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प [illegible]	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			मह[illegible]	....		
महनताना वकील	....			[illegible]	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस [illegible]	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इ[illegible] हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मी[illegible]	....		
मीजान	....						

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा